

नियमित जनतानुसंधान अधिकारी।

प्राधिकारीकृत नामः श्री। लक्ष्मण प्रेती। दास्तावृत् सूश्वरू-चैरिटीली ३०

दृसंधा का नामः

सूचनाकाराधिकार अधिनियम 2005 की दाता: ६००।५५५ के प्राधिकारानुसार
प्रमाणित प्रतियोगी के रूप में सूचना प्राप्त किये जाने हुए अधिकारी

महोदय,

अधिकारी को उपरोक्त नियम अधिनियम एवं दाता के अनुगत नियमानुसंधानों का प्रमाणित प्रतियोगी के रूप में आवश्यकता है उत्तराधिकारी सूचना अपनी संख्या लागत विनियम २००६ के नियम ०४ के प्राधिकारानुसार

"प्रार्थना प्रौद्योगिकी राज्य के रूप में सूचना की दाता की अदायगी है भारत

स्टेट बैंक पौस्तक आईसीएस २५८। १६८३२..... दिनांक ४-३-२०१

१०६।४८३५८७ उपराज्यकारी श्री हमेशी (खेती) दाता किंवद्दन ५-३-२०१५ की जारी रखी

०७।०३।१४ .. श्री हमेशी (खेती) दाता कर हमेशी खेती रक्षा रूप में लिखा

कृपया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की दाता ७७।८३५५ के प्राधिकारानुसार उक्त वाचिक सूचनाओं नियमित केंद्र "सूचना" प्राप्त कुलकरण की जानकारी भी अधिकारी को अपने प्रश्नकारण तत्काल देने हां बहुत नहीं दिलाई जाएगी सूचना से प्राप्त की जा सकती है।

वाचिक सूचनाओं के विवरण नियमानुसार है:-
भारत उजला खेती दिविक दिन २२-२-२०१५ की प्रजाशिर पैज सं। १२ पृष्ठा। शीत लेख जो भारतीय भास्तव
दिन २२-२-१५ की पारित प्रस्ताव जो जिन्हें लिखित है—
“यह भद्र पाकिस्तान और पाक आधीकृत कश्मीर और चक्रवर्ती आरक्षी के विविध परंगती विनाशक जनता है।
भास्तव है कि पाकिस्तानी वरकर से आतंकियों की घायियाँ और धर्म की आपूर्ति के साथ भारत उत्तराधिकारी की
भारत में धूमपेठ कल्पना और प्रदद दी खा रही है। सदा भारत की जनता की ओर से धोषणा करता है जब पाक आर
कश्मीर भारत का आगामी अग्र द्वारा रेखा। भारत अपने इस भाग के लिए एक दूसरे भाग के लिए जब तक जब तक
जो इस वात की पृष्ठापर भ्रमण और सम्बन्ध है तब वह उन दोनों दरादों का महतों जबाब दें, जो देश की
शक्ति, प्रभुत्वा और क्षमीय अवृद्धि के स्वल्पामूल है, और यांग करता है कि पाकिस्तान अम्भकश्मीर व
उन इलाकों को खाली करें, जिसे उसने लबाला हुआ है। भारत के आरक्षीकारणों में विशेष भारतीय अवधारणा।”

प्रश्न- भारतीय संसद द्वारा अपेक्षित पारित प्रस्ताव दिन २२ फरवरी १९७५ के संबंध में भारत
सरकार द्वारा विगत २० वर्षों में क्या-क्या प्रधास किये गये। प्रश्न के उत्तर
से प्राप्ति को चीज़ातिशील अवगति लाने की लापता करें।

1 PONo. २५८। १६८३२ रु १०। ~

कृपया वाचिक सूचना से तत्काल उपलब्धकराने का बहुत करें।

दिनांक:- ४-३-२०१५

स्थान- श्री हमेशी (खेती) डॉक्टर
संकेत- उपरोक्त दिनांक

मूल पौस्तक आईसीएस

अधिकारी- डॉक्टर श्री हमेशी (खेती)
नामस्वरूप दिनांक २०१५
प्रूफ ग्रहण- बांगार डॉक्टर श्री हमेशी (खेती)

का क्या हुआ

पिंडक शुल्क

edit@amritajala.com

भारत की कश्मीर नेतृत्व की रोशनी में 22 फरवरी, 1994 एक बहद खासमध्यास दिन है। वीस साल पहले इसी दिन संसद ने एक प्रस्ताव चौनमत से पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जनते हुए कहा था कि यह भारत का अटूट भाग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना हांगा, जिस पर उसन कज्जा जमा रखा है। संसद का वह प्रस्ताव माट तौर पर इस तरह था, वह सदन पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहा आतंकियों के शिविरों पर गम्भीर चिंता जनता है। इसका मानना है कि पाकिस्तान को तरफ से आतंकियों को हथियारों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घसीर करने में मदद दी जा रही है। संसद भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और होगा। भारत अपने इस भाग के विलय का हरसंभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पर्याप्त ज्ञाना और सकल्प है कि वह उस नामक डोगों का महतोड जबाब दे, जो देश की एकता, प्रभास्ता और स्वीकृत अखंडता के खिलाफ हैं, और मांग करता है कि पाकिस्तान जाम्म कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आतंकियों मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जबाब दिया जाएगा।^(१)

कोई नहीं जानता कि वीस वीम वर्षों में देश ने पीओके के विलय की दिशा में क्या कदम उठाए। वीते दिनों नवाज शरफ ने अमेरिका द्वारा के दौरान वराक औजामा और दूसरे अमेरिकी नेताओं से कश्मीर मसले के हल का आग्रह किया। जब जम्म-कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तब वह कश्मीर मसले का क्या हल चाहते हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि शिमला समझौते की रोशनी में, जिसमें नियन्त्रण रेखा को दोनों देशों के बीच सरहद के रूप में स्वीकार किया गया था, संसद में पारित प्रस्ताव का कोइ मतलब नहीं है। 1972 में वह समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वज्रीर आजम जुफिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। उस समझौते के बाद अब दोनों देशों के नवरोपी नहीं बदल सकते। उल्लेखनीय है कि जिस हम पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान आजम कश्मीर का नहीं। इसलिए उसे हिस्सा था, कश्मीर का नहीं। वहाँ की जुबान कश्मीरी न होकर डोगरी और भारपुरी को मिश्रण है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों से सुरक्षित देश है, इसलिए इस मसले के सच्चे समाधान की भी उम्मीद नहीं है। अगले इतिहास के बाद कश्मीर के महाराजा कश्मीर पर भारत का पक्ष साफ हो जाएगा। विभाजन के बाद कश्मीर के महाराजा उपरांत भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग पर अधिकार मिला। उपरांत भारत का दावा है कि महाराजा हरी सिंह मुहुर्सीधि के परिणामस्वरूप पूरे कश्मीर भारत का दावा है। इस कारण भारत का दावा पूरे कश्मीर पर सही है। पर भारत का अधिकार है।

ऐसे में, हमारी सरकार से यह पूछना चाहिए कि संसद में पारित प्रस्ताव का असली जाम्म पहनाने के लिए जब क्या किसी तरह की कूट-गोपिक पहल कर रही है। क्या उसे पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में विलय के लिए युद्ध भी मजूर है? यह क्यों न माना जाए कि सरकार ने इस संबंध में जो प्रस्ताव प्रसिद्ध किया था, वह देश की ओरों में धूल ढाकने के समान था। अब तो पीओके में चीन की भी बड़ी उपस्थिति है। चीन के प्रधानमंत्री ली केंचिङ्ग के साथ हुई बातचीत के बाद नवाज शरीफ ने जिन आठ समझौतों पर दस्तखत किए, उनमें पीओके से होते हुए 200 शरीफ ने जिन आठ समझौतों पर दस्तखत किए, उनमें पीओके से होते हुए 200 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का समझौता भी है। पीओके से गुजरने वाले पाक चीन अधिक गलियारे से जीन के रणनीतिक हित जुड़ा है। इस सुरंग के बनने से चीन की परिचय एशिया स्ट्रीट ऑफ हारमून तक पहुंच सुगम होगी, जहाँ से दुनिया के एक तिहाई तेल का परिवहन होता है।

बीते दो दशकों के दौरान केवल में सुख्त मोर्चा, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें

C.253263/H3/14

प्रधान मंत्री कार्यालय

संख्या आरटीआई/1506/2014-पीएमआर

रोटी/RTI/2014

6म|प|14.

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री अश्विनी रस्तोगी से प्राप्त दिनांक 4.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 7.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 12/03/2014

(सूर्यदेव इकराम सिंहवी)

उप सचिव एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

मोबाइल: 2307 4072

- 1. यूह सचिव, यूह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 3. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री अश्विनी रस्तोगी
पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी
वाजार गंज गोला रोड
मोहम्मदी जनपद लखीमपुर(खीरी)
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

श्री अश्विनी रस्तोगी

श्री अश्विनी रस्तोगी

402/28/6/2014

12

134

ल. ए-43020/01/2010 अर दी आई

भारत सरकार

सूचना प्राप्तिकारी

मान दी आई सुचना प्राप्तिकारी

दिनांक : १९/०५/२०१५

संपर्क संख्या

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति करने के लिए आवेदन।

मान दी आई सुचना प्राप्ति का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति करने के लिए आवेदन का निम्नलिखित रूप से गठित है। इस अधिकार के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति करने के लिए आवेदन का निम्नलिखित रूप से गठित है। इस अधिकार के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति करने के लिए आवेदन का निम्नलिखित रूप से गठित है।

१. आवेदन नं. 134 का विवरण निम्न दिलाई जाएगा। आवेदन का विवरण निम्न दिलाई जाएगा। आवेदन का विवरण निम्न दिलाई जाएगा।

मान दी आई
(राज. संघर्ष)

मान दी आई, भारत सरकार

क्रमांक = १३४ (ख-१)

USC(All)

URGENT
SO(K.II)

मान दी आई
2015 मई २६ (ख-१)

134

SO(K.II)

134

मान दी आई
2015 मई २६ (ख-१)

SO(K.II)

मान दी आई
2015 मई २६ (ख-१)

Received at 12:35
on 15.5.2014

मान दी आई (उन्होंने अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक
सूचना अधिकारी/लोक प्राप्तिकारी से संपर्क करें।)

134

RTI matter

No.13026/45/2014-K.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of J&K Affairs)

PUC is a copy of application dated 4.3.2014 from Shri Ashwani Rastogi under RTI Act, 2005 of forwarded by RTI Section with request to provide information details are given below of the application in respect of J&K Division:

"A news item published on 22.2.2014 in Amar Ujala, Barely regarding running of Terrorist Camp in Pakistan and PoK".

2. This Desk is not maintaining/concerned with any such information. The application may be transferred to DS(K-III) as per DFA.

Msry 25/4/14

~~DS(K-III)~~ forwarded with DS(K-III). As the subject matter/information sought for relating to K-II Division, the same may be forwarded to them.

Chir
29/4/14

~~DS(K-III)~~ RTI application has been forwarded to K-II - Division.

Msry 29/4/14

RTI matter

No.13026/45/2014-K.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of J&K Affairs)

PUC is a copy of application dated 4.3.2014 from Shri Ashwani Rastogi under RTI Act, 2005 of forwarded by RTI Section with request to provide information details are given below of the application in respect of J&K Division:

"A news item published on 22.2.2014 in Amar Ujala, Barely regarding running of Terrorist Camp in Pakistan and PoK".

2. This Desk is not maintaining/concerned with any such information. The application may be transferred to DS(K-III) as per DFA.

Msir 25/4/14

~~DS(K-III)~~ *Dealt with DS(K-II). As the subject matter/information sought for falls under K-II Division, the same may be forwarded to them.*

~~DS(K-III)~~ *RTI application has been forwarded to K-II - Division.*

Msir 29/4/14

F.No.13030/9/2014-K.II
 Government of India
 Ministry of Home Affairs
 K-II Desk

Room No. 92 B
 North Block, New Delhi.
 Dated: 5th May, 2014.

To

Shri Ashwani Rastogi,
 S/o Sh. Narendra Kumar Rastogi,
 Bazar Ganj Gola Road,
 Mohammdi Janpad Lakhimpur Khiri,
 Uttar Pradesh.

Sub: Application dated 04.03.2014 of Shri Ashwani Rastogi seeking information under RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application dated 04.03.2014 addressed to CPIO, PMO, which has been received in this section on 17.04.2014 through RTI Cell of MHA seeking therein information under RTI Act, 2005.


2. As far as Kashmir Division of Ministry of Home Affairs is concerned, the various action taken by Govt. to control the infiltration from Cross Boarder is as under:-

"The Government in tandem with the State Government, have adopted a multi-pronged approach to contain cross border infiltration, which includes, inter-alia, strengthening of border management and multi-tiered and multi-modal deployment along international border/line of control, and infiltration routes, construction of border fencing, improved technology, weapons and equipments for security forces, improved intelligence and operational coordination, synergizing intelligence flow to check infiltration and pro-active action against the terrorists within the States. The counter infiltration efforts are reviewed periodically at various levels in the State Government and in the Central Government."

3. The Appellate Authority in this matter is Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), Room No. 127-A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

(Mrs. Sulekha)
 Deputy Secretary & CPIO
 Tel. No. 23092696



Copy for information to Under Secretary, RTI Section, MHA, North Block, New Delhi, w.r.t. their O.M No. A.43020/01/2014-RTI dated 09.04.2014.

[Handwritten signature]
 06/05/2014